

संसदीय वशिषाधिकार और संबंधति मामले

प्रलमिस के लयि:

अवशिवास प्रस्ताव, संसदीय वशिषाधिकार, [सर्वोच्च न्यायालय](#), संवधान के अनुच्छेद 105 और 194

मेन्स के लयि:

संसदीय वशिषाधिकार, संसद और राज्य वधिानमंडल

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने [पी. वी. नरसमिहा राव](#) बनाम राज्य (CBI/Sp) मामला, 1998, जसि झारखंड मुक्तीभोर्चा (JMM) रशिवत मामले के रूप में भी जाना जाता है, में 25 वर्ष पुरानी बहुमत की राय को बदल दया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किरशिवतखोरी संसदीय वशिषाधिकारों द्वारा संरक्षति नहीं है।

- पछिले फैसले में कहा गया था किरशिवत लेने वाले सांसदों पर भ्रष्टाचार के लयि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यदविे सहमति के अनुसार मतदान करते हैं या सदन में बोलते हैं।

पी. वी. नरसमिहा राव मामला और सर्वोच्च न्यायालय का हालया फैसला क्या था?

- मामले की पृष्ठभूमि:**
 - पी. वी. नरसमिहा राव मामला 1993 के झारखंड मुक्तीभोर्चा (JMM) रशिवतखोरी मामले को संदर्भति करता है। इस मामले में कुछ सांसदों के खलिाफ [अवशिवास प्रस्ताव](#) के वरिद्ध वोट करने के लयि रशिवत लेने का आरोप लगाया गया था।
 - इस मामले ने संसदीय प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कया, वधिायी प्रक्रयाओं की अखंडता और नरिवाचति प्रतनिधिओं की जवाबदेही के बारे में चतिाएँ उत्पन्न की।
- 1998 मामले में न्यायालय की टपिपणी:**
 - वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने सांसदों (संसद सदस्यों) और [वधिानसभा के सदस्यों](#) (वधिायकों) के लयि रशिवत के मामलों में अभयिोजन से छूट की स्थापना की, जब तक कविे सौदेबाज़ी के अंत को पूरा नहीं करते।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना किर अवशिवास प्रस्ताव के खलिाफ मत देने वाले रशिवत लेने वालों को **संसदीय वशिषाधिकार (अनुच्छेद 105(2))** के तहत आपराधिक मुकदमे से छूट दी गई थी।
 - इस नरिणय ने शासन और संसदीय लोकतंत्र के कामकाज में स्थरिता के महत्त्व को रेखांकति कया।
 - न्यायालय की टपिपणी ने व्यक्तगित जवाबदेही पर सरकार के सुचारु संचालन को प्राथमकिता दी, यह सुझाव दया किरशिवतखोरी के लयि सांसदों पर मुकदमा चलाने से सरकार की स्थरिता संभावति रूप से बाधति हो सकती है।
- 2024 मामले में न्यायालय की टपिपणी:**
 - 7-न्यायाधीशों की संवधिान पीठ ने पी. वी. नरसमिहा राव बनाम राज्य मामले, 1998** के 5-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को बदल दया।
 - जसिमें यह स्थापति कया गया था किर संसद सदस्यों और वधिान सभाओं के सदस्यों को छूट प्राप्त थी यदविे इसके लयि रशिवत लेने के बाद सदन में वोट देते थे।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रकि सदिधांतों और शासन पर रशिवतखोरी के हानकिारक प्रभाव पर ज़ोर दया।
 - न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला किरशिवत लेना एक अलग आपराधिक कृत्य है, जो संसद या वधिानसभा के भीतर सांसदों के मूल कर्तव्यों से असंबंधति है।
 - [भ्रष्टाचार नरिाण अधनियिम की धारा 7](#), 'लोक सेवक को रशिवत देने से संबंधति अपराध' से संबंधति है।
 - इसलया **संवधिान के अनुच्छेद 105 और 194** के तहत प्रदान की गई छूट रशिवतखोरी के मामलों तक वसितारति नहीं होती है।
 - यह नरिणय भारत में एक ज़मिमेदार, उत्तरदायी और प्रतनिधि लोकतंत्र के आदर्शों को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ, केवल स्थरिता के बदले शासन में जवाबदेही एवं अखंडता को प्राथमकिता देने की दशिा में बदलाव का प्रतीक है।

संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं?

परिचय:

- संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों और उनकी समितियों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ एवं छूट हैं।
 - ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 105** में परभाषित हैं।
 - अनुच्छेद 194** राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को समान विशेषाधिकार की गारंटी देता है।
- इन विशेषाधिकारों के तहत, संसद सदस्यों को अपने कर्तव्यों के दौरान दिये गए किसी भी बयान या किये गए कार्य के लिये किसी भी नागरिक दायित्व (लेकिन आपराधिक दायित्व नहीं) से छूट दी गई है।
- संसद ने सभी विशेषाधिकारों को वसितृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिये कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।** वे पाँच स्रोतों पर आधारित हैं:
 - संवैधानिक प्रावधान
 - संसद द्वारा बनाये गए विभिन्न कानून
 - दोनों सदनों के नियम
 - संसदीय सम्मेलन
 - न्यायिक व्याख्याएँ

व्यक्तिगत सदस्य के विशेषाधिकार:

- संसद में **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** {अनुच्छेद 105(1)}
- किसी सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति [अनुच्छेद 105(2)] में कही गई किसी बात या दिये गए वोट के संबंध में किसी भी न्यायालय में **किसी भी कार्यवाही** से छूट।
- किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही {अनुच्छेद 105(2)} के संसद के किसी भी सदन के अधिकार के तहत या प्रकाशन के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से किसी व्यक्ति को छूट।
- प्रक्रिया की किसी भी कथति अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही [अनुच्छेद 122(1)] की वैधता की जाँच करने के लिये न्यायालयों पर प्रतबंध।
- सदन या उसकी समिति की बैठक जारी रहने के दौरान और बैठक शुरू होने से चालीस दिन पूर्व व समाप्त (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 135A) के चालीस दिन बाद तक **दीवानी मामलों में सदस्यों की गरिफ्तारी से मुक्ति**।

सदन का सामूहिक विशेषाधिकार:

- किसी सदस्य की गरिफ्तारी, हरिसत, दोषसिद्धि, कारावास और रहिाई की **तत्काल सूचना प्राप्त करने का सदन का अधिकार**।
- सभापति/अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये बिना सदन के परिसर के भीतर गरिफ्तारी से छूट और कानूनी प्रक्रिया।
- सदन की गुप्त बैठक की **कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण**।
- संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए साक्ष्य और उसकी रिपोर्ट एवं कार्यवाही को **कोई भी तब तक प्रकट या प्रकाशित नहीं कर सकता** जब तक कि **इन्हें सदन के समक्ष न रखा जाए**।
- किसी संसदीय समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य और उसके प्रतिबिदन तथा उसकी कार्यवाही को को किसी के द्वारा तब तक प्रकट अथवा प्रकाशित नहीं किया जा सकता **जब तक कि उन्हें सभा पटल पर न रख दिया गया हो**।
- संसद सदस्य अथवा सभा के पदाधिकारी सभा की अनुमति के बिना **न्यायालयों में सदन की कार्यवाही के संबंध में न तो कोई साक्ष्य दे सकते हैं, न ही कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं**।

नोट:

- केरल राज्य बनाम के.अजति केस, 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय किये कि, "विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का माध्यम नहीं हैं, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो प्रत्येक नागरिक की कार्रवाई को नरियंतरति करता है।"
- जुलाई 2021 में **सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार की अपने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की याचिका खारजि की** जनि पर विधानसभा में आरोप लगाए गए थे।

संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ क्या हैं?

यूनाइटेड किंगडम:

- वेस्टमिंस्टर की संसद को **उक्त प्रकार के विशेषाधिकार** प्राप्त हैं, जनिमें वाक् स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति और अपनी कार्यवाही को वनियमति करने का अधिकार शामिल है।
- ये विशेषाधिकार कानून, सामान्य कानून और पूर्व नरिणय/उदाहरण के संयोजन के माध्यम से स्थापति किये जाते हैं।

कनाडा:

- कनाडा की संसद ने भी अपने सदस्यों के लिये **विशेषाधिकार का प्रावधान** किये है जनिमें वाक् स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति और विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिये दंडित करने का अधिकार शामिल है।
- ये विशेषाधिकार संविधान अधिनियम, 1867 और कनाडा संसद अधिनियम में उल्लिखित हैं।

- ऑस्ट्रेलिया:** ऑस्ट्रेलिया की संसद अपने संविधान में नरिहित विशेषाधिकारों के साथ समान सिद्धांतों का अनुपालन करती है। सदस्यों को वाक् स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति और अपनी कार्यवाही को वनियमति करने का अधिकार प्राप्त है।

संसदीय वशिषाधकारों को संहतिबद्ध करने की क्या आवश्यकता है?

■ संसदीय वशिषाधकारों को संहतिबद्ध करने की आवश्यकता:

- **स्पष्टता और परशुद्धता:** वशिषाधकारों को संहतिबद्ध करने से संसदीय वशिषाधकारों की स्पष्ट और सटीक परभिषा सुनश्चिति होगी। यह कसिी भी अस्पष्टता को दूर करते हुए वशिषाधकारों के उल्लंघनों का स्पष्टीकरण करने में सहायता परदान करेगा।
 - एक संवधि/कानून एक सटीक सीमा स्थापति करेगा जसिके प्रावधानों के अतरिकित वशिषाधकार उल्लंघन के लयि कोई दंड नहीं दयिा जा सकता है।
- **वसितारति उत्तरदायतिव:** संसदीय वशिषाधकार के लयि स्पष्ट दशिा-नरिदेश बेहतर उत्तरदायतिव तंत्र की सुवधिा परदान करेंगे जसिसे सांसद अपने वशिषाधकारों का ज़मिमेदारीपूरण उपयुग करने में सक्षम होंगे और साथ ही उनकी उचति जाँच तथा नरिीक्षण भी कयिा जा सकेगा।
- **आधुनकीकरण और अनुकूलन:** संसदीय वशिषाधकार को संहतिबद्ध करने से समकालीन शासन परथाओं और सामाजकि मानदंडों को परतबिबिति करने के लयि मौजूदा कानूनों को अद्यतन तथा आधुनकि बनाने का अवसर मलिगा जसिसे यह सुनश्चिति होगा क वधिायी वशिषाधकार तीव्रता से वकिसति हो रहे राजनीतिक परदृश्य में प्रासंगकि तथा परभावी बने रहेंगे।
- **नयित्रण एवं संतुलन:** संहतिकरण से वशिषाधकारों पर नयित्रण और संतुलन स्थापति होगा, जसिसे उनके दुरुपयुग को रोक़ा जा सकेगा। इससे परेस की स्वतंत्रता में अनावश्यक कटौती पर भी रोक़ लगेगी।

■ संसदीय वशिषाधकारों को संहतिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है:

- **संसदीय सुवायत्तता पर अतकिरण का जोखमि:** संसदीय वशिषाधकार को संहतिबद्ध करने से संसदीय मामलों को अधकि न्यायकि जाँच या सरकारी हस्तकषेप के अधीन करके संभावति रूप से वधिायकि की सुवायत्तता पर अतकिरण हो सकता है।
- **संवैधानकि आदेश के वरिद्ध:** अनुचछेद 122 न्यायालय पर संसद की कार्यवाही की जाँच न करने के परतबिंध से संबंधति है। इसमें आगे नमिनलखिति कहा गया है: परक्रयिा की कसिी भी कथति अनयिमतिता के आधार पर संसद में कसिी भी कार्यवाही की वैधता पर परश्न नहीं उठाय़ा जाएगा।
- **लचीलेपन में कमी:** संहतिकरण संसदीय वशिषाधकार के लचीलेपन को सीमति कर सकता है, जसिसे अपरतयाशति परसिथतियिं अथवा बदलती राजनीतिक गतशीलता के अनुकूल होना चुनौतीपूरण हो सकता है जसिके लयिवधिायी मामलों हेतु अधकि सूक्ष्म दृष्टकिुग की आवश्यकता हो सकती है।
- **जटलिता एवं लंबी परक्रयिा:** संसदीय वशिषाधकार को संहतिबद्ध करने की परक्रयिा जटलि और समय लेने वाली हो सकती है, जसिमें वधिायकों, कानूनी वशिषज्जों तथा नागरकि समाज संगठनों सहति हतिधारकों के बीच व्यापक वधिार-वमिरश एवं आम सहमर्ता बनाने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- सुचारु कामकाज सुनश्चिति करने के लयि सदस्यों को संसदीय वशिषाधकार दयि जाते हैं। हालाँकि इन वशिषाधकारों को मौलकि अधकारों के साथ संरेखति कयिा जाना चाहयि, क्यौंकि सांसद नागरकिों का परतनिधितिव करते हैं।
- यद वशिषाधकार इन अधकारों से टकराते हैं, तो लोकतंत्र अपना सार खो देता है। सांसदों को वशिषाधकारों का उपयुग ज़मिमेदारी से कयिा जाना चाहयि और साथ ही इसके दुरुपयुग से भी बचना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के परश्न

?????????:

परश्न. प्नमिनलखिति में से कौन-सी कसिी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तयिं हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधरिपति करने के लयि रपौरट भेजना।
2. मंत्रयिों की नयिकृति करना। राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति कतपयि वधिायकों को भारत के राष्ट्रपति के वधिार के लयि आरकषति करना।
3. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना।

नीचे दयि गए कूट का परयुग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

?????????:

प्रश्न. "भाषण और अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता" की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? क्या इसमें घृणास्पद भाषण भी शामिल है? भारत में फलित्में अभिव्यक्तिके अन्य स्वरूपों से थोड़ा अलग धरातल पर क्यों खड़ी हैं? व्याख्या कीजिये. (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parliamentary-privileges-and-related-cases>

